06/2/25

पत्रावली पास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर जारी शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2024/660

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.06 18:05:15 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

जोगराम बनाम कृष्णलाल व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 R.T.Act प्रकरण संख्याः– 290/2024 GCMS NO. 2024/660

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.25		

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं0 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक 4 पी.पी.एन खाता नं0 70 प0न0 133/41 (44) कि0न0 1 ता 25/2 = 6.198 है0 अ0क0, प0न0 133/57 (42) कि0न0 8 ता 25/2 = 4.427 है0 अ0क0 कुल 10.625 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी के नाम 2/5 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज है। पूर्व में यह रकबा स्व0 श्री नानूराम के नाम से था। स्व0 नानूराम का देहान्त होने पर जैरवाद रकबा उनके जायज वारिसान गोमती व सुमन पुत्रियान नानूराम व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुआ। घरू बंटवारा अनुसार गोमती व सुमन पुत्रीयान नानूराम को घरू बंटवारा में चक 4 पी.पी.एन खाता नं0 70 प0न0 133/57 (42) कि0न0 8/0.076 है0, 9 ता 20 = 3.036 है0, 21/2/0.228 है0, 22/2/0.227 है0, 23/2/0.228 है0, 24/2/0.227 है0, 25/2/0.228 है0 = 1.138 है0 कुल 4.250 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि ब0हि0ब0 प्राप्त हुई। जिस पर बैचान से पूर्व गोमती व सुमन का कब्जा रहा। प्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा द्वारा उक्त भूमि स्व0 नानूराम की वारिस गोमती व सुमन से खरीद किया हैं। विक्रेता श्री गोमती व सुमन द्वारा अपने हिस्सा का रकबा प्रार्थी को बैचान कर कब्जा अपने कब्जा काश्त अनुसार घरू बंटवारा में मिली भूमि का प्रार्थी को सौंप दिया तथा कब्जा सौपनें का शपथ पत्र अलग से प्रार्थी के हक में तहरीर करवा दिया। जिस पर प्रार्थी की कब्जा काश्त हैं एवं प्रार्थी इसी कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवा कर अप्रार्थी नं0 1 ता 3 से अपना खाता अलग कायम करवाना चाहता हैं।

अप्रार्थी नं0 6 की ओर से वकील ने हाजिर होकर जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि जैर वाद रकबा का कभी भी घरू बंटवारा नही हुआ हैं। अप्रार्थी नं0 6 ने भी सहखातेदारो अप्रार्थी नं0 2 व 3 से भूमि खरीद की हैं। प्रार्थी द्वारा विशेष भाग पर कब्जा के तथ्य असंगत एवं असत्य कथन हैं। प्रश्नगत भूमि संयुक्त भूमि हैं एवं दो भागो में विभाजित हैं। सयुंक्त खाता की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक छोटे भाग पर बराबर हक होता हैं। किसी एक पक्षकार द्वारा एक तरफ अपना कब्जा बताकर खाताविभाजन करवाने का विधिक हक प्राप्त नही हैं। सयुंक्त खाता की भूमि में एक खातेदार के द्वारा अन्य खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती हैं। संयुक्त खाता में किसी खातेदार द्वारा अपने हिस्से के बैचान पर कोई प्रतिबंध नही हैं। अप्रार्थी नं0 6 पारीवारिक कारणों से रतनपुरा में निवास करता हैं। प्रार्थी इसका फायदा उठाकर जबरन प0न0 133/57 की तमाम 4.250 है0 भूमि पर काबिज होकर अवैध रूप से हस्तान्तरण पर उतारू हैं। बिना विधिवत् बंटवारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य हैं।

प्रत्युतर में प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी नं0 6 के ने जैर रकबा में से 2/5 हिस्सा अप्रार्थी नं0 2 व 3 से खरीद किया हैं। यह बात सही हैं। परन्तु अप्रार्थी नं0 2 व 3 ने कभी भी अपने हिस्से की भूमि को सुधारा नही हैं एवं ना ही सुधारने हेतु प्रयास किये हैं। भूमि काश्त योग्य नही होने के कारण अप्रार्थी नं0 2 व 3 ने अपने हिस्से की भूमि को कम दामो पर अप्रार्थी नं0 6 को बैचान की हैं। अब अप्रार्थी नं0 6 जबरन प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला वाद कन्फर्म किया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। शामिल दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि जैर रकबा अभी संयुक्त खाता में हैं। संयुक्त खाता की भूमि में किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने से वंचित नही किया जा सकता। परन्तु न्यायालय का यह भी दायित्व बनता हैं कि वे अभिलिखित खातेदार के हितो की सुरक्षा करें। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार दर्ज हैं। कब्जा का प्रश्न वाद में साक्ष्य उपरान्त तय होना हैं। इससे पहले जैर आराजी भूमि की खुर्द बुर्द होने की आशंका [illegible] होगी एवं पक्षकारो के मध्य वाद बाहुल्यता भी बढेगी। इसलिये हम प्रार्थी का [illegible] आंशिक स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता हैं [illegible] जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन कर उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता हैं कि वे [illegible] भूमि चक 4 पी.पी.एन खाता नं0 70 प0न0 133/41 (44) कि0न0 1 ता 25/2 = 6.198 है0 अ[illegible] प0न0 133/57 (42) कि0न0 8 ता 25/2 = 4.427 है0 अ0क0 कुल 10.625 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि की मौका की यथास्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखे।

निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.06 18:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ